नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य

बनाम

कृपाल सिंह

[सिविल अपील संख्या 256/2014]

10 जनवरी 2014

सामान्य बीमा कर्मचारी विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 200 पैरा 305 और 6 &स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना- पात्रता एवं अर्हक सेवा- एसवीआर 2004 के पैरा 6 पेंशन योजना 1995 के पैरा 14 को के प्रावधाननुसार कोई भी कंपनी निगम की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी जिसने पेंशन भुगतान के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है जिसमें उसने सेवानिवृत्ति की तिथि पर न्यूनतम दस वर्ष की सेवा प्रतिपादित की हो। चूंकि एसवीआरएस 2004 का लाभ चाहने वाले लाभार्थी पर पेंशन योजना 1995 का पैरा 29 एवं 30 लागू नहीं है परंतु पैरा 14 को लागू किया जा सकता है जो पात्रता की शर्त के लिए एक योग्य सेवा निर्धारित करता है जिसमें केवल पात्रता की शर्त के रूप में दस वर्ष की सेवा होना अनिवार्य है। अभिव्यक्ति पेंशन योजना 1995 के पैरा 14 में प्रदर्शित होने वाली सेवानिवृत्ति केवल उन मामलों

पर लागू नहीं होना चाहिए जो पैरा 30 के अंतर्गत आते हैं। साथ ही उक्त योजना एसवीआरएस 2004 के अंतर्गत आने वाले मामले में भी लागू नही होती है।

इस प्रकार जो लोग एसवीआरएस 2004 के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनते हैं वो भी पेंशन के भुगतान के लिए पात्र होगा यदि उसने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पैरा 14 के तहत निर्धारित दस वर्ष की अर्हक सेवा में पूर्ण कर ली हो।-सामान्य बीमा (कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पैरा 14 29 और 30।

शब्द 'अर्थ' और अभिव्यक्तिए ष्जब तक संदर्भ न हो

अन्यथा आवश्यक है का भावार्थ स्टेटस की व्याख्या।प्रतिवादियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाए 2004 एसवीआरएस 2004 द्वकेे सामान्य बीमा कर्मचारी विशेष की शर्तें के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना तथा पैरा 6 के आधार पर पेंशन हेतु दावा किया जिसमें पेंशन स्वीकार्य लाभों में से एक ह। अपीलकर्ताओं का उक्त दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया क्योंकि एसवीआरएस 2004 के पैरा 6 में उल्लेखित है किस्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन चाहने वालो को पेंशन तभी स्वीकार्य होगी जब वे इसके

लिए सामान्य बीमा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 तथा पेंशन योजना 1995 के पैरा 30 के तहत पात्र हों जिसमें अंकित है कि केवल ऐसे कर्मचारियों को पेंशन देय होगी जिन्होनें सेवा में बीस वर्ष पूरे कर लिये हो। अपीलकर्ताओ ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय बीस वर्ष की सेवा पूर्ण नही होने से वो पेंशन योजना 1995 के तहत पात्र नही थे। अपीलकर्ताओ द्वारा दायर रिट याचिकाओं में उत्तरदाताओं को पेंशन का हकदार मानते हुए अनुमति दी गई।

एसवीआरएस 2004 के पेैरा संख्या 6 तथा पेंशन योजना 1995 के पेैरा 14 के संयुक्त पठन से संदेह का कोई भी बिन्दू इंगित नही होता जिसमें किसी कंपनी संघटन सेवानिवृति होने वाले कर्मचारी ने अगर न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा सेवानिवृति की दिनांक तक की हो तो वो पेंशन के लिए हकदार होगा। पेंशन योजना 1995 का पेैरा 29 व पैरा 30 क्रमशः अधिवार्षिकी पेंशन तथा स्वैच्छिक सेवानिवृति पेंशन को परिभाषित करता है। एसवीआरएस 2004 भी उक्त दोनो प्रावधानों में से किसी एक को भी उपेक्षित नही करता है। एसवीआरएस 2004 का पेैरा 6(1(सी सेवानिवृति होने वाले कर्मचारी की सेवा में अतिरिक्त पांच वर्ष का काल्पनिक लाभ विशेषतः प्रदान

करता है किंतु पेंशन योजना 1995 के पेैरा 30 मे पेंशन के रूपान्तरण व मात्रा के निर्धारण का उद्देश्य अनुमत नही है। एसवीआरएस 2004 में पेंशन योजना 1995 के पैरा नंबर 30 के अन्तर्गत प्रावधानानुसार ग्रांट ऑफ पेंशन का प्रावधान नही अपनाया गया है।

एसवीआरएस 2004 के पैरा 6 तथा पेंशन योजना 1995 के पैरा 14 का सहपठन यह इंगित करता है कि सेवानिवृत होने वाला कर्मचारी न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि पूर्ण कर लेता है तो वह पेंशन का पात्र होगा तथा वह एसवीआरएस 2004 के प्रावधानानुसार भी पेंशन का हकदार होगा। हालांकि एसवीआरएस 2004 के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर पेंशन योजना 1995 के पैरा 29 व पैरा 30 लागू नही होगा। हालांकि पैरा 14 लागू किया जा सकता है जो यह प्रावधान करता है कि 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वह उक्त लाभ के लिए पात्र या हकदार होगा। पेंशन के भुगतान के लिए प्रावधान न केवल आर्थिक लाभ के लिए है बल्कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना में होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पश्चात् अनुग्रहपूर्वक भुगतान और पेंशन प्रदान करने का उद्धेश्य रखती है।

इस प्रकार यह न्यायालय पेंशन योजना 1995 के पैरा-14 में सेवानिवृत्त शब्द के लिए यह धारित करता है कि यह प्रकरण न केवल उक्त योजना के पैरा-30 के अन्तर्गत आता है बल्कि विशेष स्वैच्छिक सेवा निवृत्त योजना-2004 के अन्तर्गत भी आता है। इस प्रकार वे कर्मचारी एसवीआरएस 2004 के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेते हैं वे पेंशन लाभ के लिए हकदार होंगें यदि उन्होंने 10 वर्ष की सेवा पेंशन योजना-1995 के पैरा नं0 14 के अनुसार पूर्ण कर ली हो।

शब्द मीन्स की व्याख्या सामान्य परिभाषा की वहीं पूर्णता का बोध कराती है परन्तु व्याख्या का सामान्य नियम यह है कि बिना अपवाद यह पूर्ण नहीं है। व्याख्या का परिपूर्ण सिद्धान्त यह है कि यह सामान्य परिभाषा के संदर्भ में उल्लेखित प्रसंगों को बिना उपेक्षित किए प्रसंग के मूल उद्धेश्य को भी परिभाषित कर सकें।

होटल एवं कैटरिंग उद्योग प्रशिक्षण बोर्ड बनाम ऑटोमोबाइ प्रोपराइटरी लिमिटेड 1968

1 डब्ल्यू एल.आर. 1526 वैनगार्ड फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मद्रास बनाम फ्रेजर और रॉस और अन्य. ए.आई.आर 1960 एससी 971 पॉल एंटरप्राइजेज एवं अन्य। बनाम राजीब चटर्जी

एंड कंपनी एवं अन्य। 2009 1 एससीआर 259 = 2009 डी 3 एससीसी 709 महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य। बनाम बीण्ईण् बिलिमोरिया और अन्यण् 2003 पूरक एससीआर 603 2003 एससीसी 336 के वी मुथु बनाम अंगमुथु अम्मल 1996 10 पूरक एससीआर 188 19972 एससीसी 53 और भारतीय रिज़र्व बैंक बनाम पीयरलेस सामान्य वित्त 1987 2 एससीआर 1 1987 1 एससीसी 424 उक्त प्रसंगों मेंA-1.6 मौजूदा मामले में पेंशन का पैरा 2 योजना 1995 में प्रदर्शित होने वाले प्रावधानों को परिभाषित करती है। परन्तु महत्वपूर्ण यह है कि ऐसी परिभाषाएँ तभी सार्थक होती है जब परिभाषा द्वारा परिभाषित अभिव्यक्तियों का संदर्भ भी अर्थ का समर्थन करता हो। एसवीआरएस 2004 के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने वाले कर्मचारी को पेंशन देय होने के संदर्भ में योजना के पैरा नं0 2 के शुरूआती शब्दों जिसमें उल्लेखित है कि इस योजना के अन्तर्गत यदि संदर्भ के अलावा आवश्यक हो यह महत्वपूर्ण है। पंेशन योजना 1995 में यह कहीं भी संदर्भित नहीं है कि विशेष योजना 2005 के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने वाले कर्मचारी को उक्त प्रावधानों के लाभ से उपेक्षित किया जा सके। सेवानिवृति

शब्द की व्याख्या इस संदर्भित दोनो योजनाओ मंे, जिनमें एसवीआरएस 2004 के अन्तर्गत सेवानिवृति लेने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन भुगतान के लिए हकदार होने की व्याख्या करती है। जो कि न केवल पेशन योजना 1995 के पैरा 30 पर लागू हेाती है बल्कि विशेष योजना 2004 में भी अन्तर्निहित हैं।

इसके अलावा इसके लिए कोई प्रावधान पेंशन का भुगतान लाभकारी प्रकृति का है उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक उदार व्याख्या प्राप्त होना भी चाहिए जो न केवल पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत बल्कि कोई विशेष योजना जिसके अंतर्गत कर्मचारी को सेवा के विशेष वर्षो के उपरांतस्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का विकल्प दिया गया

प्रकरण कानून संदर्भ

1968 डब्ल्यू0 एल0 आर0 1526 के पैरा 12 को संदर्भित किया गया

एआईआर 1960 एससी 971 पैरा 13 का हवाला दिया गया

2009]1 एससीआर 259 पैरा 14 को संदर्भित किया गया।

2003]2 पूरक एससीआर 603 के पैरा 14 को संदर्भित किया गया है।

1996]10 पूरक एससीआर 188 पैरा 14 को संदर्भित किया गया।

[1887]2 एससीआर 1 के पैरा 15 का हवाला दिया गया।

सिविल अपीलांट क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 256/2014

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ के सीडब्ल्यूपी नं 13382/2007 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 25.01.2008 से तथा सी ए 257a o 258/2014 जयदीप गुप्ता] ज्योति दस्तीदार] दिनेश माथुर] एस0एल0 गुप्ता]

दुआ एसोसिएट्स] ए0के0 डे] राजेश द्विवेदी] देबासिस मिश्रा] नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम कृपाल सिंह

रंजन मुखर्जी] डॉ0 एस0के वर्मा] मोहित सरोहा] गौतम

नारायण] निखिल नैय्यर] मुबाशिर मुश्ताक] टीवीएस राघवेन्द्र]

पक्षकारान् की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

टी0एस0 ठाकुर, जे0 1 लीव ग्राटेंड।

2 इन अपीलो के निर्धारण के लिए संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादियों ने जिन अपीलकर्ता कंपनियों की सेवा से सेवानिवृत्ति के

लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति विकल्प चुना है वो सामान्य बीमा के तहत पेंशन का दावा करने का हकदार है?

उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दिया।

कंपनियों ने उस दृष्टिकोण के विरोध की अपील की है।

3 विवाद निम्नलिखित पृष्ठभूमि में उत्पन्न होता हैः

4 केन्द्र सरकार ने सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 की धारा 17 ए के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीमा कर्मचारी विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 2004 (इसके बाद इसे 2004 का एसवीआरएस कहा जाएगा जिसे सामान्य बताया गया है के पैरा 3 में उल्लेखित है कि यह योजना कर्मचारियों के लिए पात्रता की शर्तों को निर्धारित करती है की बीमा कंपनी की सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प कौन चुन सकता है इस प्रकार हैः-

पात्रता

1 वे सभी स्थायी पूर्णकालिक कर्मचारी इसके तहत विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि वे 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर लें तथा दस वर्ष की सेवा अधिसूचना की तिथि पर पूरे

कर लिए हो।

2 कोई कर्मचारी जो निलंबित हो या जिन के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है या विचार किया गया है वो विकल्प चुनने के लिए पात्र नहीं होगा

बशर्ते कि एक कर्मचारी का मामला जो निलंबन के अधीन है या जिसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है कार्यवाही लंबित है अथवा विचाराधीन है तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के बोर्ड द्वारा विचार किया गया जाएगा तथा प्रत्येक मामले में बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। 5 योजना के पैरा 5 में स्वैच्छिक चाहने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद इसमें प्रावधान किया गया कि उन्हें अनुग्रह राशि का हकदार माना जाये।

साथ ही इस योजना के पैरा 6 में योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी अन्य लाभ भी दिये जाने के अधिकारी होगे। जो कि इस प्रकार हैः-

6 अन्य लाभः-

1 योजना मंे उक्त विकल्प चुनने वाला कर्मचारी अनुग्रह राशि के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य लाभ प्राप्त करने का भी अधिकारी

होगाः-

ए भविष्य निधि

बी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 (39) के तहत देय ग्रेच्युटी युक्तिकरण योजना जैसा भी मामला हो देय होगीः

सी (पेंशन पेंशन के परिवर्तित मूल्य सहित योजना 1995 सामान्य बीमा कर्मचारी पेंशन के अनुसार यदि पात्र हो। तथाप इसके अतिरिक्त पाँच वर्ष की अतिरिक्त सेवा का काल्पनिक लाभ जैसा कि उक्त पेंशन के पैरा 30 में निर्धारित है योजना इस प्रयोजन के लिए स्वीकार्य नहीं होगी जिसमें पेंशन की मात्रा का निर्धारण और

पेंशन का रूपान्तरण का उद्देश्य निहित हो।

डी अवकाशनकदीकरण

2 जो कर्मचारी इस योजना का चयन कर रहा है उसे अवकाश यात्रा सब्सिडी औरसेवा के दौरान छुट्टी का नकदीकरण का लाभ उठाने का हकदार नहीं होगा यदि उसका सेवाकाल इस योजना अधिसूचना की तारीख से साठ दिन की अवधि

का ना हो।

6 जिन उत्तरदाताओं ने एसवीआरएस 2004 पैरा 6 के

तहतस्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना उन्हें स्वीकार्य लाभों में से एक के रूप में पेंशन का दावा किया गया । अपीलकर्ताओं द्वारा दावा खारिज कर दिया गया था। जिससे प्रतिवादियों को मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मजबूर होना पडा क्योंकिकोर्ट ने उनके द्वारा दायर अलग अलग रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने 25 जनवरी 2008 के एक सामान्य आदेश द्वारा उक्त याचिकाओं का निस्ताण करते हुये प्रतिवादियों को पेंशन की अनुमति दी गई थी। उच्च न्यायालय ने यह विचार किया है कि एसवीआरएस 2004 के पैरा 6 तथा सामान्य बीमा पेशंन योजना 1995 के पैरा 14 के सह पठन से उक्त योजनाओ के अनुसार कर्मचारियों को पेंशन का क्लेम करने का हकदार माना क्योंकि उन्होने उक्त निगम/कंपनी में न्यूनतम दस वर्ष की सेवा की है, जिससे वे सेवानिवृति चाह रहे थे। पेंशन योजना 1995 का पैरा 14 इस प्रकार हैः-

7 एसवीआरएस 2004 के के पैरा 6 और पेंशन योजना 1995 के पैरा 14 पैरा संयुक्त पाठन यह इंगित करता है कि कोई कर्मचारी जो किसी निगम/कंपनी से सेवानिवृति ले रहा है अगर उसने

न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा की है तो वो पेंशन का लाभ लेने का भागीदार होगा, इसमें कोई संदेह नही है। पेंशन योजना 1995 के पेैरा 2 टी मंे सेवानिवृति शब्द को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया हैः-

2 परिभाषाः- इस योजना में जब तक संदर्भ न हो अन्यथा आवश्यक है। सेवानिवृत्ति का अर्थ हैः- सामान्य बीमा (वेतनमान का युक्तिकरण और संशोधन और पर्यवेक्षक लिपिक एवं अधीनस्थ कर्मचारी की सेवा की अन्य शर्तें योजना 1974 के अनुच्छेद 12 प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्ति शब्द में निहित है,कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय(राजस्व और बीमा विभाग संख्या ए0ओ0 326 दिनांक 27 मई 1974 की अधिसूचना के तहत अधिसूचित किया गया। सामान्य बीमा (अधिकारियों और विकास कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति सेवासमाप्ति के पैरा 4 के प्रावधानानुसार जो कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलो के विभाग की अधिसूचना संख्या एसओ 627 ई दिनांक 21 सितंबर 1976

8 अपीलकर्ता कंपनियों की ओर से इसका तर्क दिया गया कि एसवीआरएस 2004 के पैरा 6 के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

चाहने वालों के लिए तभी स्वीकार्य होगा यदि वे पेंशन योजना 1995 के पैरा 30 के तहत इसके लिए पात्र हो तथा कर्मचारियों ने इस हेतु अर्हक सेवा जो कि 20 वर्ष है को पूर्ण कर लिया हो।तथा उत्तरदाताओं ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय उक्त बीस वर्ष की सेवा पूर्ण नही की थी इसलिये वो पेंशन योजना 1995 के अधीन पेंशन के पात्र नही है।

9 प्रतिवादियों की ओर से यह पक्ष रखा गया कि पेंशन योजना 1995 का पैरा 30 जिसमंे प्रावधन है कि बीस वर्ष की अर्हक सेवा निर्धारित करता है पेंशन का दावा करने के पात्र होने के लिए न ही यह ऐसा मामला था जहां एसवीआरएस 2004 का या तो विशेष रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा निर्धारण हेतु पेंशन योजना 1995 के पैरा 30 को अपनाया गया जिसमें उक्त योजना के तहत सेवानिवृत्ति चाहने वालों की पात्रता का अंकन है। यह तर्क दिया गया कि उत्तरदाताओं ने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली थी एसवीआरएस 2004 के अनुसार जो उससे भिन्न था। पेंशन योजना 1995 के पैरा 30 के तहत परिकल्पना की गई थी।पेंशन के लिए पात्रता की शर्तें पैरा 30 के तहत निर्धारित हैं अर्थात इसलिए बीस वर्ष की अर्हक सेवा नहीं थी उत्तरदाताओं के लिए आवेदन जिसका तात्पर्य यह है कि दावा पेंशन

के लिए पैरा 14 के आलोक में देखा जाना चाहिए पेंशन योजना 1995 सेवानिवृत्ति को विशेष के अंतर्गत मानती है 2004 की योजना भी उस उद्देश्य के लिए एक सेवानिवृत्ति के रूप में मानती है।

10- उत्तरदाताओं की ओर से जिस बिन्दू पर जोर दिया गया है उसमें हमें काफी प्रबलता नजर आती है। पेंशन योजना 1995 अधिवार्षिकी पेंशन तथा स्वैच्छिक सेवानिवृति पेंशन दोनो का के बारे में प्रावधान करता है। जिसमें पैरा नंबर 29 अधिवार्षिकी पेंशन के लिए तथा पैरा नंबर 30 सेवानिवृति की पेंशन के बारे में प्रावधान करता है जो कि इस प्रकार हैः-

29 सेवानिवृत्ति पेंशनः- इस योजना में निहित शर्त है कि एक कर्मचारी जिसने किसी निगम या कंपनी में सेवानिवृत्ति की तिथि पर न्यूनतम दस वर्ष की सेवा प्रदान की हो, पेंशन के लिए पात्र होंगे।

30 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशनः- किसी कर्मचारी के बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरे होने के बाद किसी भी समय वह 90 दिन से पूर्व नियुक्ति अधिकारी को लिखित सूचना देकर स्वेैच्छिक सेवानिवृति ले सकता है।

5 इस पैराग्राफ के तहत स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले

कर्मचारी की अर्हक सेवा शर्तों के अधीनए अवधि पाँच वर्ष से अधिक नही की वृद्धि की जाएगी कि कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई कुल अर्हक सेवा किसी भी स्थिति में तीस वर्ष से अधिक नहीं होगी और ऐसा नहीं होता है उसे सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे ले जाएं।

6 इसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी की पेंशन पैराग्राफ औसत परिलब्धियों पर आधारित होगा जैसा कि इसके पैराग्राफ 2 के खंड डी के तहत परिभाषित किया गया है योजना और वृद्धि उसकी अवधि में पाँच वर्ष से अधिक नहीं अर्हक सेवा उसे उसकी पेंशन की गणना के उद्देश्य से वेतन का निर्धारण किसी भी काल्पनिक सेवा का हकदार नहीं बनाएगी 11 एसवीआरएस 2004 स्पष्ट रूप से उपरोक्त दो प्रावधानों में से किसी एक पर पेंशन के भुगतान के लिए दावे को लागू नहीं करता है ऐसा इसलिए क्योंकि कर्मचारियों का दावा है कि हमारे सामने उत्तरदाताओं को सेवानिवृत्ति पेंशन नहीं है और न ही है पैरा 30 के अर्थ के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशनवास्तव में एसवीआरएस 2004 के पैरा 6 सी।विशेष रूप से अतिरिक्त पाँच का काल्पनिक लाभ प्रदान करता है। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की सेवा में वर्ष जोड़े जाएंगे पेंशन योजना के पैरा 30 में निर्धारित नहीं

होगा। पेंशन की मात्रा निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए स्वीकार्यऔर पेंशन का रूपान्तरण। यह एसवीआरएस 2004 के का अनुसरण करता है। पेंशन अनुदान के प्रयोजनों के लिए इस योजना को नहीं अपनाया।पेंशन योजना 1995 का अंतर्निहित पैरा 30 मामले में सवाल यह है कि क्या पैरा 6 के प्रावधान 2004 का एसवीआरएस पेंशन योजना के पैरा 14 के साथ पढ़ा गया जो एक के लिए केवल दस वर्ष की अर्हक सेवा निर्धारित करता है जो कर्मचारी सेवा से सेवानिवृत्त होता है वह दावा करने का हकदार होगा। एसवीआरएस 2004 के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले लोग पेंशन के हकदार होंगे भी पेंशन का दावा करने के लिए। हमारा उत्तर सकारात्मक है। पैरा 29 और 30 चाहने वालों के अधिकार को नियंत्रित नहीं करते हैं के एसवीआरएस 2004 का लाभ एकमात्र अन्य प्रावधान जो कर सकता है।संभवतः ऐसी पेंशन के लिए पैरा 14 का उपयोग किया जाएगा। एक शर्त के रूप में केवल दस वर्ष की अर्हक सेवा निर्धारित करता है। पात्रता का उस व्याख्या को अपनाने में एकमात्र बाधा यही हैपेंशन के पैरा 14 में सेवानिवृत्ति शब्द के प्रयोग में निहित है यह योजना 1995 उस अभिव्यक्ति का एक प्रतिबंधित अर्थ हो सकता है। इसका मतलब

है कि पैरा 14 केवल सेवानिवृत्ति के संदर्भ में प्रावधान करता है।पैरा 2 टी से जिसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति शामिल है के पैरा 30 में निहित प्रावधानों के अनुसार पूर्वसेवार्थ वृत्ति योजना।हालाँकि इसका कोई कारण नहीं है।अभिव्यक्ति सेवानिवृत्ति को इस प्रकार प्रतिबंधित किया जाना चाहिए,अर्थ विशेषकर जब वह संदर्भ जिसमें वह अभिव्यक्ति हो। हमारे द्वारा जांच की जा रही हैए यह अधिक उदारता को उचित ठहराएगा व्याख्या न केवल इसलिए कि भुगतान का प्रावधान है पेंशन एक लाभकारी प्रावधान है जिसकी व्याख्या की जानी चाहिए।लाभ से इनकार करने के बजाय अनुदान का अधिक उदारतापूर्वक समर्थन करना बल्कि इसलिए भी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना ही थी यदि नहीं तो प्रोत्साहित करके अधिशेष जनशक्ति को कम करने का इरादा है

कर्मचारियों को लाभ की पेशकश करके सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने के लिए लुभाना जैसे अनुग्रह भुगतान और पेंशन अन्यथा स्वीकार्य नहीं है कर्मचारियों के लिए सामान्य पाठ्यक्रम में हम हैं इसलिए यह मानने के इच्छुक हैं कि अभिव्यक्ति सेवानिवृत्ति में दिखाई दे रही है पेंशन योजना 1995 का पैरा 14 न केवल लागू होना चाहिए

ऐसे मामले जो उक्त योजना के पैरा 30 के अंतर्गत आते हैं विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत आने वाला मामला 2004 का। इस प्रकार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने वालों की व्याख्या की गई। एसवीआरएस 2004 के उक्त के तहत भी भुगतान के लिए पात्र होगा पेंशन की जैसा कि उन्होंने दस साल की अर्हक सेवा में पेंशन योजना 1995 के पैरा 14 के तहत निर्धारित किया था।

12 हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि साधन शब्द का प्रयोग किया गया है।वैधानिक परिभाषाओं में आम तौर पर यह तात्पर्य है कि परिभाषा है संपूर्ण लेकिन व्याख्या का वह सामान्य नियम निराधार नहीं है,एक अपवाद। व्याख्या का भी उतना ही सुस्थापित सिद्धांत क्या वह वैधानिक परिभाषा में साधन शब्द का प्रयोग है।उस संदर्भ के बावजूद जिसमें अभिव्यक्ति को परिभाषित किया गया हैअन्वेषण के लिए बनाई गई किसी भी फोरेंसिक कवायद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।किसी अभिव्यक्ति का वास्तविक अभिप्राय लॉर्ड डेनिंग की होटल और कैटरिंग उद्योग प्रशिक्षण बोर्ड बनाम ऑटोमोबाइल प्रोप्राइटरी लिमिटेड 1968 1 डब्ल्यूएलआर 1526 इस संबंध में टिप्पणियाँ है।

यह सही है कि उद्योग परिभाषित है लेकिन एक परिभाषा को अलगाव के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। इसे सन्दर्भ में पढ़ा जाना चाहिए, उस वाक्यांश का जिसे परिभाषित करता है यह समझते हुए कि कार्य परिभाषा का अर्थ किसी शब्द को सटीकता और निश्चितता देना है या वाक्यांश जो अन्यथा अस्पष्ट और अनिश्चित होगा,लेकिन इसका खंडन नहीं करना चाहिए या इसे पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए।

13- द वैनगार्ड फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में मद्रास बनाम फ़्रेज़र और रॉस और अन्य। एआईआर 1960 एससी971 में से एक प्रश्न जो न्यायालय के समक्ष निर्धारण हेतु आये थे कि क्या बीमाकर्ता शब्द की परिभाषा में एक व्यक्ति शामिल है किसी व्यवसाय को जारी रखने का इरादा रखने वाला या ऐसा व्यक्ति जो बंद हो गया हो व्यवसाय चलाने के लिए यह तर्क दिया गया कि परिभाषा बीमाकर्ता का अर्थ है शब्दों से शुरू हुआ और इसलिए है संपूर्ण इस न्यायालय ने उस विवाद को निरस्त करते हुए यह माना वैधानिक परिभाषाएँ या संक्षिप्तीकरण के अधीन पढ़ा जाना चाहिए।योग्यता परिभाषा खंडों में विभिन्न प्रकार से व्यक्त की गई है,जिसने उन्हें

बनाया और यह भी हो सकता है कि परिभाषा कहाँ है,यह संपूर्ण है क्योंकि परिभाषित शब्द का अर्थ माना जाता है निश्चित शब्द के लिए कुछ हद तक संभव है।अधिनियम की विभिन्न धाराओं के आधार पर अलग.अलग अर्थ हैं विषय या संदर्भ पर इसीलिए सभी परिभाषाएँ क़ानून आम तौर पर योग्य शब्दों से शुरू होते हैं ।जब तक ऐसा न हो क्या विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल है।

इस विवाद के मुख्य आधार की परिभाषा है,अधिनियम की धारा 2(9 में बीमाकर्ता शब्द है।यह इंगित किया गया है वह परिभाषा ष्बीमाकर्ता का अर्थ है और शब्दों से शुरू होती है,इसलिए संपूर्ण है। इसे आम तौर पर स्वीकार किया जा सकता है।शब्द बीमाकर्ता को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए परिभाषित किया गया हैः-अधिनियम का अर्थ किसी व्यक्ति या कॉर्पोरेट निकाय आदि से है जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है।वास्तव में बीमा का व्यवसाय कर रहा है अर्थात किसी भी चीज़ के बीमा के अनुबंधों को प्रभावित करने का व्यवसाय वे उदार हो सकते हैं।लेकिन की शुरुआत इसमें शब्दों से होती है कार्य करें जब तक कि विषय में कुछ भी प्रतिकूल न हो। संदर्भ और फिर विभिन्न परिभाषा खंड आते हैं जो 9 एक है यह

अच्छी तरह तय हो चुका है कि सभी वैधानिक हैं परिभाषाओं या संक्षिप्ताक्षरों को इसके अधीन पढ़ा जाना चाहिए।परिभाषा खंडों में योग्यता विभिन्न प्रकार से व्यक्त की गई है। जिसने उन्हें बनाया और यह भी हो सकता है कि कहां परिभाषा संपूर्ण है क्योंकि परिभाषित शब्द है । कहा जाता है कि एक शब्द के लिए एक निश्चित चीज़ का मतलब है यह संभव है। अधिनियम का विषय या संदर्भ के आधार पर अलग&अलग वर्गों में कुछ अलग.अलग अर्थ होते हैं।।यही कारण है कि मूर्तियों में परिभाषाएँ आम तौर पर साथ होती हैं वर्तमान में प्रयुक्त शब्दों के समान गुणवाचक शब्द मामला अर्थात् जब तक कि इसमें कुछ भी प्रतिकूल न हो विषय या प्रसंग इसलिए अर्थ जानने में अधिनियम की विभिन्न धाराओं में बीमाकर्ता शब्द के लिए इसे सामान्यतः दिया जाने वाला अर्थ यह है कि इसमें दिया गया है परिभाषा खंड लेकिन यह अनम्य नहीं है और हो सकता है अधिनियम में ऐसी धाराएँ हों जहाँ अर्थ हो सकता है विषय या सन्दर्भ के कारण प्रस्थान किया जाना जिस शब्द का प्रयोग किया गया है और वह प्रभाव देगा परिभाषा अनुभाग में प्रारंभिक वाक्य के लिए।जब तक कि विषय में कुछ भी प्रसंगप्रतिकूल न हो इस योग्यता को देखते हुए

अदालत ने न केवल शब्दों को देखने के साथ.साथ संदर्भ को भी देखने के लिए सहस्थान और ऐसे से संबंधित ऐसे शब्दों का उद्देश्यआशय और अर्थ की व्याख्या करना परिस्थितियाँ के अंतर्गत शब्दों के प्रयोग द्वारा संश्लेषित किया गया है इसलिए हालांकि सामान्यतः शब्द अधिनियम में प्रयुक्त बीमाकर्ता का अर्थ एक व्यक्ति या निकाय होगा कॉर्पोरेट वास्तव में बीमा का व्यवसाय कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि कुछ अनुभागों में शब्द एक हो कुछ अलग अर्थ हो सकते है।

14 इस न्यायालय का पॉल उद्यम एवं अन्य बनाम राजीब चटर्जी एंड कंपनी और अन्य(2009 3 एससीसी 709 का निर्णय भी इसी आशय का हैA जहां इस न्यायालय ने एक बार फिर दोहराया कि व्याख्या खंड को एक प्रासंगिक अर्थ दिया जाना चाहिए और कि सभी वैधानिक परिभाषाओं को इसके अधीन पढ़ा जाना चाहिए।व्याख्या खंड में विभिन्न प्रकार से व्यक्त की गई योग्यता जिसने उन्हें बनाया महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य बनाम बीई बिलिमोरिया और अन्य(2003 7 एससीसी 336 को भी इस न्यायालय ने बहाल कर दिया था। यह सिद्धांत कि अभिव्यक्ति का अर्थ निश्चित होना चाहिए जिस संदर्भ में

उसका उपयोग किया गया है। संदर्भ हेतु के वी मुथु बनाम अंगामुथु अम्मल 1997 एससीसी 53 में भी न्यायलय द्वारा निम्न प्रकार से आब्जर्वेशन किये गये हैः-

जाहिरा तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि परिभाषा निर्णायक है जैसा कि साधन शब्द का उपयोग निर्दिष्ट करने के लिए किया गया है सदस्य अर्थात् पति पत्नी पुत्र पुत्री पोता.पोती या आश्रित माता.पिता जो परिवार का गठन करेंगे।अधिनियम की धारा 2 जिसमें विभिन्न शर्तें दी गई हैं परिभाषित शब्दों के साथ खोलें ष्इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ को अन्यथा आवश्यकता है जो इंगित करता है कि परिभाषाएँ उदाहरण के लिए परिवार की जो हैं निर्णायक होने का संकेत दिया जाना संभव नहीं माना जा सकता है। निर्णायक यदि यह अन्यथा संदर्भ द्वारा आवश्यक था। यह तात्पर्य यह है कि एक परिभाषा किसी क़ानून के किसी भी अन्य शब्द की तरह के सन्दर्भ और योजना के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए। अधिनियम और वह उद्देश्य भी जिसके लिए विधायिका द्वारा अधिनियम बनाया गया था। किसी परिभाषा की व्याख्या करते समय इसे ध्यान में रखना होगा,उस पर रखी गई व्याख्या न केवल नहीं होनी चाहिए। संदर्भ के

विपरीत यह भी वैसा ही होना चाहिए जैसा होगा जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रयास किया जा रहा है उसे प्राप्त करने में सहायता करना अधिनियम द्वारा परोसा जाएगा। एक ऐसा निर्माण जो हरा देगा या अधिनियम के उद्देश्य को विफल करने की संभावना थी नजरअंदाज किया गया और स्वीकार नहीं किया गया। जहां परिभाषा या अभिव्यक्ति जैसा कि तत्काल मामले में शब्दों से पहले जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो की आवश्यकता है। अनुभाग में निर्धारित उक्त परिभाषा है इस नियम को लागू किया जाए और प्रभावी बनाया जाए जो कि है यदि कुछ हो तो सामान्य नियम से हट सकते हैं यह दिखाने के संदर्भ में कि परिभाषा नहीं हो सकती। 15 हम लाभकारी रूप से इस न्यायालय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाम पीयरलेस जनरल फाइनेंस (1987] 1 एससीसी 424 के निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैं जहां इस न्यायालय ने इसे सर्वोत्तम घोषित किया, व्याख्या वह है जिस पर न्यायालय न केवल परीक्षण पर निर्भर करता है बल्कियह भी संदर्भ जिसमें प्रावधान किया गया है। हम उस निर्णय के अंश से निम्न लिखित सारांश संदर्भित कर सकते हैः-

"व्याख्या पाठ और संदर्भ पर निर्भर होनी चाहिए वे

व्याख्या के आधार हैं। कोई कह सकता है यदि पाठ बनावट है संदर्भ वह है जो रंग देता है जो किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जिसमें दोनों महत्वपूर्ण हैं। किसी क़ानून की सबसे अच्छी व्याख्या तब होती है जब वह व्याख्या वह सर्वोत्तम है जो पाठ्य व्याख्या करती है प्रासंगिक से मेल करें तथा यह तथ्य सामने आयेकि ये कानूनक्यों बनाया गया । उक्त संदर्भ को पहले समग्र रूप से और फिर खंड दर खंड तथा वाक्यांश दर वाक्यांश और शब्द दर शब्द पढा जाना चाहिए। अगर किसी क़ानून को उसके अधिनियमन के संदर्भ में देखा जाता है क़ानून निर्माता का दृष्टिकोण ऐसे संदर्भ द्वारा प्रदान किया गया।इसकी योजना अनुभाग उपवाक्य वाक्यांश और शब्द हो सकते है, संदर्भ द्वारा प्रदान किए गए दृष्टिकोण के बिना देखा तोक़ानून से अलग दिखें।इन दृष्टिकोण से.हमें अधिनियम को समग्र रूप से देखना चाहिए तथा जानना चाहिए कि प्रत्येक अनुभाग प्रत्येक खंड प्रत्येक

वाक्यांश और प्रत्येक शब्द का अर्थ यह है और यह कहने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि वह इसमें फिट बैठता है। संपूर्ण अधिनियम की योजना किसी क़ानून का कोई भाग नहीं और कोई शब्द से नहीं, एक क़ानून की व्याख्या अलग से की जानी चाहिए। क़ानून में प्रत्येक शब्द का एक स्थान और उपयोगिता होनी चाहिए।

16- प्रस्तुत मामले में पेंशन योजना 1995 का पैरा 2 इस योजना में आने वाले भावों अभिप्रायो को परिभाषित करता है लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि ऐसी परिभाषाएँ तभी अच्छी है जब परिभाषा खंड द्वारा परिभाषित अभिव्यक्तियों के लिएसंदर्भ निर्दिष्ट अर्थ का समर्थन करती हो जिसमें प्रश्न है कि क्या कर्मचारी जिसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना है पेंशन अनुमन्य हैपेशन योजना 2004 की योजना इस योजना के पैरा 2 के रूप में महत्व रखती है जिसमें शब्दों से शुरू होता हैइस योजना में जब तक कि

संदर्भ न हो अन्यथा आवश्यक है। पेंशन योजना 1995 के तहत जिन कर्मचारियों ने स्वेैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया है उनको पेंशन लाभ नही मिलने संबंधी कोई भी तथ्यों का अंकन नही किया गया है तथा ना ही ऐसा उल्लेख विशेष योजना 2004 में किया गया है।शब्द सेवानिवृत्ति दोनो योजनाओं के संदर्भ में होनी चाहिएए और एसवीआरएस के तहत सेवानिवृत्त होने वालों को पेंशन की स्वीकार्यता पेशन योजना1995 के पैरा 30 के अंतर्गत न केवल शामिल है बल्कि विशेष योजना 2004 में भी इसका उल्लेख है। इसके अलावा भुगतान के लिए कोई प्रावधान पेंशन लाभकारी प्रकृति की है जिसे उदारतापूर्वक मिलना चाहिए ताकि न केवल पेंशन योजना 1995 अंतर्निहित उद्देश्य की पूर्ति हो सके बल्किइसके अंतर्गत कोई विशेष योजना भी जिसमे कर्मचारियों को निर्धारित वर्षाे की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक आवेदन लेने का विकल्प दिया गया है] को भी लाभ मिल

सके।''

17- परिणामस्वरूप ये अपीलें विफल हो जाती हैं और इस प्रकार ऐसी परिस्थितियों में लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के ये अपीले खारिज की जाती है।

अपीलें खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रहेलिका आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।